बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक— संचिका सं0— रे0 / यो0 / तसर (लाभुक) 01 / 16

प्रेषक,

सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

द्वारा— आतंरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक—

अनौपचारिक रुप से परामर्शित

विषय— **वर्ष 2016—17 में Central Sector scheme (CSS) के अन्तर्गत भागलपुर / बाँका जिले में "बुनियाद" तसर रीलिंग मशीन वितरण के लिए कुल रू0 16,02,925 / —(सोलह लाख दो हजार नौ सौ पच्चीस) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान वर्ष 2016—17 में Central Sector scheme (CSS) के तहत भागलपुर एवं बाँका जिले में क्रमशः 261 एवं 400 कुल 661 "बुनियाद" तसर रीलिंग मशीन वितरण के लिए कुल रू0 16,02,925 / —(सोलह लाख दो हजार नौ सौ पच्चीस) मात्र की राज्यांश राशि के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

2. मशीन की इकाई लागत रू0 9700 / — है। CSS के तहत 75% राशि केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरू तथा 25% राशि लाभुक द्वारा वहन किया जाना है। सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरू के अनुरोध एवं लाभुकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए लाभुकों द्वारा देय 25% अंशदान राज्य योजना से व्यय करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रस्ताव में माननीय मंत्री, उद्योग का अनुमोदन सं0सं0— रे0 / यो0 / तसर लाभुक —01 / 16 के पृष्ठ संख्या 10 / टि0 पर प्राप्त है।

3. प्रति मशीन रू0 9700 / — की दर से 661 मशीन का कुल लागत रू0 64,11,700 / — में से रू0 48,08,775 / — केन्द्रांश के रूप में केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरू से एवं रू0 16,02,925 / — राज्य योजना से प्राप्त होना है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड के पत्रांक CSB / CSTRI / VSRD / 15—16 / 5370 दिनांक 30.08.2016 तथा पत्रांक CSB — 92 / 1 (Nodal Officer— Bihar) / 2006—07— PFAE Vol. IV दिनांक 15.11.2016 के द्वारा योजना की स्वीकृति दी गई है। योजना का कार्यान्वयन Scientist -D, SCTH , CSB, मालदा, प0 बंगाल के द्वारा किया जाएगा।

4. इस राशि का व्यय बजट शीर्ष; मुख्य शीर्ष—2851—ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष—00, लघु शीर्ष—107 रेशम उत्पादन उद्योग, उप शीर्ष—0101 पिछ्डी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना—रेशम का विकास विपत्र कोड P2851001070101 राज्य योजना स्कीम कोड IND-5444 के विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद से विकलित होगा। इसके लिए वर्तमान वर्ष में पुर्नविनियोग के माध्यम से प्राप्त बजट उपबंध से व्यय किया जाएगा जिसका राज्यादेश ज्ञापांक 6653 दि0 22.12.2016 है।

5. स्वीकृत राशि की निकासी अग्र परियोजना पदाधिकारी, तसर अग्र परियोजना केन्द्र, इनादावरण कटोरिया, बाँका द्वारा जिला कोषागार, बाँका से SCTH , CSB, Malda, (WB) के पक्ष में एकमुश्त

9 copy

करते हुए उनके Central Bnka of India, Malda, (WB) के खाता संख्या 1363495118 (IFS Code - CBINO281464) में हस्तांतरित की जाएगी। राशि की निकासी में वित्त विभाग के पत्रांक 8244 दिनांक 02.08.11 एवं पत्रांक 500 दिनांक 18.01.11 में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

6. इस योजना का कार्यान्वयन Scientist -D, SCTH , CSB, मालदा, प0 बंगाल के द्वारा Director, CSTRI, CSB, Bengaluru के मार्गदर्शन में किया जाएगा।

7. इस योजना के नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे, जो योजना का अनुश्रवण करेंगे।

8. यह राज्यादेश संचिका संख्या– रे0 / यो0 / तसर (लाभुक) 01 / 16 के पृष्ठ 15 / टि0 पर दिनांक 30.11.2016 को आतंरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय पत्रांक 7355 / वि0(2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

ह0 / –

सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– रे0 / यो0 / तसर (लाभुक) 01 / 16 पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, बाँका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– रे0 / यो0 / तसर (लाभुक) 01 / 16 पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– अग्र परियोजना पदाधिकारी, तसर अग्र परियोजना केन्द्र, इनादावरण कटोरिया, बाँका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– रे0 / यो0 / तसर (लाभुक) 01 / 16 पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– Director, CSTRI, CSB, Bengaluru / Scientist -D, SCTH , CSB, मालदा, प0 बंगाल / डॉ0 के0 सत्यनारायणा, वैज्ञानिक – डी0, सह नोडल पदाधिकारी, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरू / सहायक उद्योग निदेशक (रे0), भागलपुर / Scientist -C, TTL, CSB, Bhagalpur / सहायक सचिव (तक0), क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– रे0 / यो0 / तसर (लाभुक) 01 / 16 6682 पटना, दिनांक– 23/12/2016
प्रतिलिपि– सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बैंगलूरु / वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना शाखा, उद्योग विभाग / उद्योग निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना / आय–व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय / बजट पदाधिकारी, प्रशाखा–1 (स0), उद्योग विभाग एवं योजना शाखा–1(स0) / आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थएवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/12/16
सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
23/12/16

M/Rajyadesh